न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्याः 355/2016
दर्ज दिनांकः 05/05/2016
निर्णय दिनांक : 22/02/2018

कंचन देवी धर्मपत्नि बोदूराम आयु 35 वर्ष जाति गुर्जर निवासीः गाजी बाबा की ढाणी, गुर्जरो की तलाई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

——प्रार्थीया

बनाम

1. गुल्ली देवी बेवा स्वर्गीय श्री देवा आयु 68 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासीः जयपालपुरा उर्फ गुजरोवाला, तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. कजोड पुत्र स्वर्गीय श्री देवा आयु 47 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासीः जयपालपुरा उर्फ गुजरोवाला, तहसील फागी, जिला जयपुर।
3. प्रभु पुत्र स्वर्गीय श्री देवा आयु 45 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासीः जयपालपुरा उर्फ गुजरोवाला, तहसील फागी, जिला जयपुर।
4. भूरी देवी पत्नि रंगलाल पुत्री स्वर्गीय श्री देवा आयु 40 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासीः जोधपुरिया, तहसील निवाई, जिला टोंक।
5. कालू पुत्र भौरिया आयु 70 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासीः जयपालपुरा उर्फ गुजरोवाला, तहसील फागी, जिला जयपुर।
6. बनवारी पुत्र मोती आयु 50 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासीः जयपालपुरा उर्फ गुजरोवाला, तहसील फागी, जिला जयपुर।
7. भंवरी देवी पत्नि हनुमान सहाय आयु 51 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासीः गुर्जरो का मौहल्ला, नगर निगम रोड, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
8. एस.बी.आई. बैंक शाखा फागी जरिये प्रबंधक फागी, जिला जयपुर।
9. श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील फागी, जिला जयपुर।

——अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि उक्त उनवानी वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है जिसमें प्रार्थीया/वादिनी को सफलता की पूरी आशा है। कृषि भूमि खसरा नंबर 03 रकबा 34 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 04 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा कुल खसरा किता 2 कुल रकबा 45 बीघा 05 बिस्वा स्थित ग्राम श्रीजयपालपुरा उर्फ गुजरोवाला पटवार हल्का पहाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर में है जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/8 अर्थात 5 बीघा 13 बिस्वा है अप्रार्थीगण नंबर 1 लगायत 4 का हिस्सा 1/4 एवं अप्रार्थीगण नंबर 5 व 6 का प्रत्येक का हिस्सा 1/4 एवं अप्रार्थी संख्या 7 का हिस्सा 1/8 है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण नंबर 1 लगायत 7 का बहैसियत खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में नाम का इन्द्राज है तथा अप्रार्थीगण नंबर 1 लगायत 4 की भूमि अप्रार्थी संख्या 8 के पास राहिन है। मूल खातेदार देवा पुत्र भौरिया की मृत्यु हो चुकी है जिसके विधिक उत्तराधिकारी अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 है इसके अतिरिक्त मृतक देवा का अन्य कोई विधिक उत्तराधिकारी नहीं है इसलिये अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 को पक्षकार कायम किया गया है। प्रार्थीया वादग्रस्त भूमि में खसरा नंबर 03 में करीब 13 बिस्वा पर तथा खसरा नंबर 04 में करीब 5 बीघा भूमि पर मनबट से काबिज काश्त है तथा शेष भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 मनबट से काबिज काश्त है जिसका प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण उपयोग उपभोग करते आ रहे है। अप्रार्थीगण का प्रार्थीया की कब्जे काश्त की भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है लेकिन अप्रार्थीगण बिना भूमि का विधिवत विभाजन करवाये प्रार्थीया की कब्जे की विकसित भूमि पर अवैध रूप से जबरन कब्जा कर अन्य दीगर व्यक्तियो को विक्रय किये जाने पर आमादा है जिसका कि अप्रार्थीगण को कानूनन कोई हक व अधिकार हासिल नहीं है। दिनांक 01.05.2016 को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 प्रार्थीया के कब्जेकाश्त की भूमि में अन्य दीगर व्यक्तियो को लेकर आये एवं बिना प्रार्थीया की इजाजत के प्रार्थीया के कब्जे की भूमि की नाप जोख करने लगे प्रार्थीया ने इन्हे भूमि पर नाप जोख किये जाने से रोका तो इन लोगो ने प्रार्थीया के साथ गाली गलौच की व अभद्र व्यवहार किया, आवाज सुन आसपास के अन्य लोग आ गये उनके आने पर उस वक्त तो ये लोग

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

चले गये लेकिन जाते जाते धमकी देकर गये है कि बिना विभाजन करवाये वादग्रस्त भूमि का अवैध रूप से कब्जा कर विक्रय अन्य दीगर व्यक्तियो को कर देगे तुम्हारे जो मर्जी में आये वो करो। यदि अप्रार्थीगण ने भूमि का बिना विधिवत विभाजन करवाये अवैध रूप से प्रार्थीया के कब्जे की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया तो प्रार्थीया स्वयं की विकसित की गयी एवं काबिज हिस्से की भूमि से सदैव के लिये महरूम हो जावेगी प्रार्थीया को अनावश्यक की मुकदमे बाजियो में उलझना पडेगा व ऐसी क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना किसी भी सूरत में संभव नहीं हो पावेगा। प्रार्थीया अधिकारिणी है कि वह अप्रार्थीगण नंबर 1 लगायत 7 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवा देवे कि वे वादग्रस्त सम्पत्ति वर्णित वाद पत्र में प्रार्थीया को अवैध रूप से जबरन बेदखल ना करे व करावे, ना जबरन कब्जा करे व करावे तथा ना ही प्रार्थीया के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करे व करावे एवं मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा बिना विधिवत विभजन करवाये उक्त वादग्रस्त भूमि का रहन, बेय, हस्तांतरण आदि ना करे, ना करावे। अप्रार्थी संख्या 9 दौराने वाद राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन न करे, ना करावे। प्रार्थीया विवादग्रस्त सम्पत्ति की रिकॉर्डेड खातेदार है तथा अपना हिस्सा पृथक कराने की अधिकारिणी है इस कारण प्रार्थीया के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला बखूबी प्रमाणित है। प्रार्थीया की मनबट के आधार पर कब्जेशुदा आराजी कृषि भूमि को अप्रार्थीगण द्वारा किसी दीगर व्यक्ति को बेचान कर कब्जा संभलाया गया तो प्रार्थीया को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से नहीं की जा सकती है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है।

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला-जयपुर

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 07 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 03 रकबा 34 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 04 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा कुल खसरा किता 2 कुल रकबा 45 बीघा 05 बिस्वा स्थित ग्राम श्रीजयपालपुरा उर्फ गुजरोवाला पटवार हल्का पहाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर के विशिष्ट भू–भाग का किसी दीगर व्यक्ति, कंपनी, संस्था आदि को बेचान, विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तांतरण नहीं करे तथा ना ही किसी दीगर व्यक्ति, कंपनी, संस्था को कब्जा संभलाये तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थीया के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करे तथा अप्रार्थी संख्या 9 भूधारक व सम्पत्ति के हस्तांतरण के लिये अधिकृत

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

सक्षम अधिकारी होने से उक्त भूमि के हस्तांतरण के पंजीयन के दस्तावेज को पंजीकृत नहीं कर रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। दिनांक 20.10.2016 को अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्व बावजूद नोटिस तामील न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गयी। दिनांक 04.11.2016 को मूल वाद में श्री विनोद जैन एडवोकेट ने अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 5 व 6 की ओर वकालतनामा पेश किया एवं अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 02.02.2017 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में अनापत्ति प्रकट की, न्यायहित में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्व की गयी एकतरफा कार्यवाही मंसूख की गई। दिनांक 24.03.2017 को वकील अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 5 व 6 ने जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। प्रति वकील प्रार्थी को दिलवाई गई। दिनांक 20.04.2017 अप्रार्थी संख्या 4 के विरूद्व बावजूद नोटिस तामील न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गयी। दिनांक 30.11.2017 को वकील प्रार्थी ने जवाब काउन्टर क्लेम टी.आई. प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध फोटोप्रति जमाबंदी, जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय काउन्टर क्लेम, जवाब काउन्टर क्लेम टी.आई., वाद पत्रावली इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि प्रार्थीया व अप्रार्थी आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।

पक्षकारान के मध्य कब्जे संबंधी विवाद का निस्तारण वाद के अंतिम निर्णय के समय किया जावेगा। पक्षकारान के मध्य विवाद न बढे इस हेतु मेरे विनम्र मत में मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0काश्त0 अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजीयात के मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22/02/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)